

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/81811/ALG/ALIGARH/1799/CFO

दिनांक: 08-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **NAVYUG PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **HAMIDPUR ALIGARH, HAMIDPUR TAPPAL ALIGARH, ALIGARH** तहसील - **KHAIR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
NAVYUG PUBLIC SCHOOL	4	0	13.88 mt.

तथा प्लॉट एरिया **11816.89 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **NAVYUG PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **25-05-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KULDEEP ATTRI** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **27-05-2023** से **26-05-2026** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : निरीक्षण अधिकारी की संसुति के अनुसार यह प्रमाण पत्र मानचित्र में इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है प्रत्येक माह फायर mock drill , स्टाफ की फायर ट्रेनिंग एवं फायर उपकरणों का रखरखाव तथा documentation करना आवश्यक होगा। अग्निशमन विभाग के निरीक्षण के समय सभी अभिलेखों को निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। भवन का अधिभोग अथवा ढाचागत परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि(बिल्डिंग बायलाज) के अनुसार लिया जायेगा। उक्त शर्तों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी / प्रबंधक की होगी अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वतः निरस्त समझा जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(ANIMESH SINGH)

[988D384CCCA8D37E1130B41B483F0EDBC2540E4B]

27-05-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 27-05-2023
स्थान : ALIGARH